प्रसारण सेवाओं के संचालन के लिए गैर सरकारी एजेंसियां

2296. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में गैर सरकारी संस्थाओं को कतिपय प्रसारण सेवाओं के संचालन की अनुमति प्रदान की है;

(ख) ऐसी अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राजकोष को होने वाली राजस्व हानि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ निविदाएं आमंत्रित की गई थीं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने भुगतान आधार पर ट्रांसमीटर द्वारा कवर किए क्षेत्र के लिए उपयुक्त ग्रामीण विकास एवं शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय प्रसारण को ट्रांसमिट करने के उद्देश्य से गुजरात के जिला-खेड़ा में पिज में स्थित 1 कि०वा० टी०वी० ट्रांसमीटर का उपयोग करने हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था। राष्ट्रीय विकास बोर्ड से ट्रांसमीटर की मरम्मत, परिशोधन एवं परिचालन संबंधी लागत को वहन करने की अपेक्षा की गई थी। संयुक्त रूप से निरीक्षण एवं दूरदर्शन को अपेक्षित भुगतान के करने के बाद ट्रांसमीटर के प्रचालन की रूपात्मकता निर्धारित की जानी अपेक्षित थी। तथापि, निरीक्षण के बाद, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने सूचित किया है कि वे अब अपने प्रसारण उद्देश्य के लिए टी०वी० ट्रांसमीटर का उपयोग करने के इच्छुक नहीं हैं।

(घ) सरकार ने इस संबंध में कोई आवेदन आमंत्रित नहीं किए हैं।

Transfer of employees in various Branches of SBI

2297. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Clerks, Cashiers, Tellers, Head Clerks are working at one branch for more than five years in various branches of the State Bank of India, New Delhi;

(b) what is the tenure of the said employees in one branch; whether there is any guideline for their transfers; if so, the reasons for not following there guidelines scrupulously; and

(c) the steps Government propose to take to regulate these things in the interest of the bank's work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) to (c) State Bank of India, Local Head Office, New Delhi has reported that in terms of its existing transfer policy, the transfers of the clerical staff are affected on a regular basis after their normal tenure of five years in a branch/office subject, however, to administrative convenience, compassionate consideration, individual problems, merit of each case etc. It has further reported that in large sized branches and at the administrative offices it effects inter-divisional and interdepartmental changes after every five years which are also deemed to be transfer under its transfer policy.

पायलट प्रशिक्षण केन्द्र

2298. **श्री अजीत जोगी:**
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में, केन्द्रवार, कितने पायलट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि कितनी है;

(ग) इस पाठ्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है; और